

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

प्रशासन गांवों के संग अभियान—2023 कोर्ट केम्प कुड़ला

क्रमांक रीडर/2023/ 3336

दिनांक - 21/06/23

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भगवानाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी बेरिवाला गांव कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 खरथाराम पुत्र मानाराम 2 कौशलाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट 3 गोमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति सुथार निवासी बेरिवाला गांव, कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 184/2022

दिनांक- 20/05/23

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बेरिवाला गांव पटवार क्षेत्र कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 835/491 रकबा 5.8275 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


  
(समदरसिंह भाटी)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 21/06/23

क्रमांक :- रीडर/2023/3337-40

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. भगवानाराम पुत्र मानाराम जाति जाट निवासी बेरिवाला गांव कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी खरथाराम पुत्र मानाराम वगैराह जाति जाट निवासी बेरिवाला गांव कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर